न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 209/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/01226**
दायर दिनांक :– 23.10.2019 **निर्णय दिनांक :– 20.09.2024**

1. किस्तुर कंवर पत्नी कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. बेरीसालसिंह पुत्र कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. जगजीतसिंह पुत्र हरभनसिंह जाति सन्दल नि. डी–23 मन्साराम पार्क उतमनगर नई दिल्ली

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित नहीं
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आश्य से पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा खसरा नम्बर 868 रकबा 270.00 बीघा सरहद मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादी संख्या 1 के ससुर व वादी संख्या 2 के दादा कल्याणसिंह पुत्र चन्दनसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। कल्याणसिंह से पूर्व वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 के पिता कल्याणसिंह के पुत्र कोजराजसिंह फौत हो गये थे इसलिये कल्याणसिंह के फौत होने के बाद उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरण से वादीगण को प्राप्त हुई है। वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा पहले खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार मोमी ट्रेस नक्शे तैयार किये और उसके बाद मोमी ट्रेस नक्शा व खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार ही खतोनी तैयार की गई। इसी प्रकार वक्त सेटलमेंट ग्राम बारू में भी सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा मौके का मोमी ट्रेस नक्शा खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार ही तैयार किया गया। वादी संख्या 1 के ससुर एंव वादी संख्या 2 के दादा कल्याणसिंह के कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 868 का मोमी ट्रेस नक्शा तैयार किया गया जिसका रकबा 270.00 बीघा है। लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 868 की खतौनी बन्दोबस्त तैयार करते समय गलती से खसरा नम्बर 868 का रकबा 270.00 बीघा के स्थान पर सरासर गलत तरीके से एंव मोमी ट्रेस नक्शा से कम रकबा 198.04 बीघा भूमि दर्ज कर दिया। जबकि वक्त सेटलमेंट से लेकर उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का व उनके फौत होन के बाद वादीगण का

20.9.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 270.00 बीघा भूमि पर ही कब्जा व काश्त था। वादीगण ने 270.00 बीघा भूमि पर तारबन्दी कर रखी है। इसलिये वादीगण को ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 868 रकबा 198.04 बीघा के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 868 का सही एंव वास्तविक रकबा 270.00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है। कल्याणसिंह पुत्र चान्दनसिंह के जीवन काल में खसरा नम्बर 868 रकबा 198.04 बीघा भूमि पर सिलिंग की कार्यवाही की गई और उक्त सिलिंग की कार्यवाही के तहत खसर नम्बर 868 में से रकबा 143.06 बीघा भूमि सरकारी खाता में दर्ज कर दी गई जो भूमि आगे खातेदारों को आवंटन कर दी गई जो वर्तमान में खसरा नम्बर 868/1 रकबा 41.00 बीघा, खसरा नम्बर 868/2 रकबा 16.05 बीघा जैतू देवी पत्नी भगवानाराम के नाम, खसरा नम्बर 868/3 रकबा 43.00 बीघा सांगसिंह पुत्र दानसिंह के नाम, खसरा नम्बर 868/4 रकबा 42.00 बीघा भूमि हाथीसिंह पुत्र अचलसिंह के नाम दर्ज है। सिलिंग की कार्यवाही के बाद शेष रहा रकबा 54.19 बीघा भूमि को कल्याणसिंह ने बेचान कर दी जो वर्तमान में खसरा नम्बर 868 रकबा 27.10 बीघा सुमेरसिंह पुत्र लादूसिंह के नाम व खसरा नम्बर 868/5 रकबा 27.09 बीघा भूमि नरपतसिंह पुत्र लादूसिंह के नाम दर्ज है। लेकिन उक्त बढोतरी रकबा 71.16 बीघा भूमि पर कल्याणसिंह का अपने जीवन काल तक कब्जा व काश्त रहा और उनके फौत होने के बाद वर्तमान में वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण की उक्त बढोतरी रकबा 71.16 बीघा भूमि पर रहवासी मकान, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा इसमें वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते है और हर वर्ष बरसात के समय उक्त भूमि पर काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसलिये वादीगण ग्राम बारू के खसरा नम्बर 868 के अग्रिम बट्टा दर्ज करवा कर उक्त बढोतरी रकबा 71.16 बीघा भूमि की अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप की ओर से जवाब दिया गया, जिसके अनुसार ग्राम बारू के खसरा नम्बर 668 रकबा 198.04 बीघा दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 668 का नक्शा ट्रेस 270.00 बीघा भूमि का है, जो मोमी ट्रेस नक्शा से प्रमाणित है और वादीग[illegible] बढोतरी भूमि रकबा 71.16 बीघा पर कब्जा व काश्त एवं ढाणियां बनी हुई है। [illegible] ग्राम बारू में से नया राजस्व ग्राम धोलिया नवसुजित हुआ है। [illegible] 636 रकबा 1633.07 बीघा दर्ज है। लेकिन नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 636 का रकबा 63[illegible] बीघा है। खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847.00 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है और न ही उक्त भूमि मौके पर ही है जो मौका फर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

20.9.24

कलेक्टर

दिनांक 18.07.2020 से प्रमाणित है। खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847.00 बीघा भूमि के खातेदार को सुनवाई का अवसर देकर खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847.00 बीघा में से 71.16 बीघा कम की जाकर खसरा नम्बर 868 में रकबा 71.16 बीघा भूमि की बढोतरी की जावे जिससे पटवार मण्डल बारू का रकबा नहीं बढेगा। ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 868 रकबा 198.04 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 868 का सही व वास्तविक रकबा माफिक मोमी ट्रेस नक्शा अनुसार कुल रकबा 270.00 बीघा भूमि किया जावे एंव खसरा नम्बर 868 में बढोतरी रकबा 71.16 बीघा वादीगण के नाम दर्ज किया जावे एंव उक्त बढोतरी रकबा 71.16 बीघा को ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847 बीघा में से कम किया जावे। जिससे किसी प्रकार का राज हित प्रभावित नहीं होगा। वादी संख्या 2 बेरिसालसिंह ने गवाह का शपथ पत्र पेश किया। वादी संख्या 2 बेरिसालसिंह के बयान पी. डब्लू–2 कलमबद्व किये गये। हाथीसिंह पुत्र अचलसिंह गवाह का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 868 रकबा 270.00 बीघा के रूप में स्थित है, उक्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व रकबा 270.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 868 की खतौनी बंदोबस्त तैयार करते समय रकबा 270.00 बीघा के स्थान पर 198.04 बीघा दर्ज कर दिया गया जबकि नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि का रकबा 270.00 बीघा है और मौके पर वादीगण का 270.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये वादीगण खसरा नम्बर 868 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी को दुरूस्त करवाकर रकबा 198.04 बीघा के स्थान पर माफिक नक्शा ट्रेस अनुसार 270.00 बीघा दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। ग्राम बारू वर्तमान नवसृजित ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847.00 बीघा में से बढोतरी रकबा कम किये जाने का निवेदन किया। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :– (01) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर आर.आर.टी. 2013(1) उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य पेज संख्या 391, (02) आर.आर. टी. 2013(1) हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य पेज संख्या 226 की नजीरे प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट के समय में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों को दुरूस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये हुवे है तथा सेटलमेंट के समय राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात में रही त्रुटियों को दुरूस्त करने में उखण्ड अधिकारी सक्षम है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद मनन, अनुशीलन एवं अध्ययन के पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 868 रकबा 198.04 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज रही है जो जमाबंदी से साबित है लेकिन उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस में रकबा 270.00 बीघा है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से 71.16 बीघा कम है जो तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है इस प्रकार खसरा नम्बर 868 का मोमी ट्रेस नक्शा में मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

रकबा 71.16 बीघा अधिक दर्ज है तथा ग्राम बारू वर्तमान नवसृजित ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847.00 बीघा अनुसार भूमि मौके पर नहीं है उक्त खसरे का रकबा मोमी ट्रेस नक्शा से अधिक है जो तथ्य पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब से भी साबित है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 2013(1) आर.आर.टी पेज संख्या 391 उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं आर.आर.टी 2013(1) पेज संख्या 226 हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य में पारित आदेश उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होता है। पटवारी हल्का ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि वादीगण से बढोतरी रकबे की लगान राशि प्राप्त की जावे। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में भी कथन किया है वादीगण के वाद का निस्तारण साक्ष्य सनुवाई एवं गुणावगुण पर किये जाने पर एतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 868 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 190.04 बीघा को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 868 का रकबा 270.00 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावे एवं ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847.00 बीघा में से उक्त बढोतरी रकबा कम किया जाकर वादीगण को बढोतरी रकबा 71.16 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. किरतुर कंवर पत्नी कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप
2. बेरीसालसिंह पुत्र कोजराजसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप

वादीगण.....

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. जगजीतसिंह पुत्र हरभनसिंह जाति सन्दल नि. डी–23 मन्साराम पार्क उतमनगर नई दिल्ली

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :– **209/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 868 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 190.04 बीघा को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 868 का रकबा 270.00 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावे एवं ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 636/4 रकबा 847.00 बीघा में से उक्त बढोतरी रकबा कम किया जाकर वादीगण को बढोतरी रकबा 71.16 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.09.2024 को जारी की गई।

20-9-24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।